

103

12

III | निगरानी | श्योपुरा भूरा | 2017/31 20

समक्षः न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.गवालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016-17/अ.मा

- 1—सोहनलाल पुत्र केसरा उम्र 55 वर्ष,
 - 2—चन्द्रकला पुत्री केसरा उम्र 60 वर्ष
 - 3—मोहिनी बेवा यादवचन्द उम्र 70 वर्ष
 - 4—नंदकिशोर पुत्र यादवचन्द उम्र 45 वर्ष
 - 5—विष्णु पुत्र यादवचन्द उम्र 42 वर्ष
 - 6—लीला पुत्री यादवचन्द उम्र 51 वर्ष
 - 7—बिमला पुत्री यादवचन्द, उम्र 48 वर्ष
 - 8—उषा पुत्री यादवचन्द उम्र 39 वर्ष
- समस्त जातियान खाती, निवासीगण
बडौदा तह. बडौदा जिला श्योपुर

.....अपीलांट

बनाम

- 1—फूलचंद पुत्र मूलचंद (फोत)

वारिसान

- अ—सतीश पुत्र मूलचंद उम्र 23 वर्ष
- ब—प्रेम बेवा फूलचंद उम्र 51 वर्ष
- स—राजेश पुत्री फूलचंद उम्र 35 वर्ष
- द—मिथ्लेश पुत्री फूलचंद उम्र 32 वर्ष
- इ—मीनू पुत्री फूलचंद उम्र 28 वर्ष
- उ—निशा पुत्री फूलचंद उम्र 20 वर्ष
- 2—मांगीलाल पुत्र मूलचंद (फोत)

वारिसान

- अ—बाबूलाल पुत्र मांगीलाल उम्र 52 वर्ष
- ब—कैलाश पुत्र मांगीलाल उम्र 47 वर्ष
- स—नरेश पुत्र मांगीलाल उम्र 23 वर्ष
- द—सूरजाबाई पुत्री मांगीलाल उम्र 55 वर्ष
- इ—उमिलाबाई पुत्री मांगीलाल उम्र 45 वर्ष
- उ—चन्द्रबाई पुत्री मांगीलाल उम्र 42 वर्ष
- ल—ममताबाई पुत्री मांगीलाल उम्र 40 वर्ष
- 3—रामस्वरूप पुत्र मूलचंद (फोत)

वारिसान


- अ—ललिताबाई पत्नी रामस्वरूप उम्र 45 वर्ष
 - ब—महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप उम्र 20 वर्ष
 - स—गोलू पुत्र रामस्वरूप उम्र 18 वर्ष
 - द—रीना पुत्री रामस्वरूप उम्र 15 वर्ष (ना.बा.)
- सरपरस्त मॉ ललिताबाई, समस्त जातियान
खाती, समस्त निवासीगण ग्राम सौईकलॉ तह.
व जिला श्योपुर म.प्र.

क्रमांक:.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/3120

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</u></p>	